

(ii) REPORTED MEETINGS BETWEEN SHEIKH ABDULLAH AND THE CHINESE PRIME MINISTER

Mr. Speaker: I have received "calling attention" notices as well as notices of a journal motion about Sheikh Abdullah again today. This has become the business of every day. Shri Hem Barua.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : इस पर पहले काम रोको प्रस्ताव लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं स्टेटमेंट होने दूंगा और उस को देखने के बाद इस का फैसला करूंगा ।

Shri Hem Barua (Gauhati): Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"The reported meeting between Sheikh Abdullah and the Chinese Prime Minister, Mr. Chou En-lai, in Algier."

Shri Swaran Singh: Sir, I would crave the indulgence of the House that I might make a statement on this tomorrow because we have not heard anything officially yet from our Embassy. We are in touch with them and by tomorrow I will make a statement.... (Interruption).

Shri Daji (Indore): This is very important and Government has not got the information yet.. (Interruption)

श्री इन्द्र चन्द कश्यप : कम भी इस बात को कहा गया था ।

Shri Daji: Shame.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I rise on a point of order. My point of order is that the "calling attention" notice has been tabled and the Minister has said that he has not received any official information from

the Ambassador. We have got this news not only from the newspapers but it was also announced twice over the All India Radio yesterday. The All India Radio knows it; everybody knows it. This is nothing but trying to shield Sheikh Abdullah who has become a traitor to this country.... (Interruption). He is a traitor.

श्री इन्द्र चन्द कश्यप : हम ने कल भी यह सवाल उठाया था कि अगर वह चाउ-एन-लाई से मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे । रेडियो पर भी बताया गया है ।

Shri S. M. Banerjee: He has met the Prime Minister of China. Shame.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): Government take a most serious view of Sheikh Abdullah's meeting, that is, the reported meeting, with Mr. Chou En-lai.

Shri Hari Vishnu Kamath: Head of an enemy country.

Shri Lal Bahadur Shastri: I would like to request the House to allow the External Affairs Minister to make a fuller statement tomorrow. We will certainly consider.....

Shri S. M. Banerjee: Before the statement, bring him back.

Shri Lal Bahadur Shastri: We will also consider as to what further steps are to be taken in this regard.

श्री मधु लिनये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यक्त्या का प्रश्न है ।

Shri Hem Barua: On a point of order. We were told that our diplomatic personnel in Africa and elsewhere are warned by our Government to watch the movements of Sheikh Abdullah and report to the Government about his doings in foreign countries. Now, on Tuesday, he met Mr. Chou En-lai in Algiers, and the news was given by Peking radio

[Shri Hem Barua]

and that news has been broadcast from the All India Radio also, not once but on several occasions. Sir, don't you think that here is the failure on the part of a Government in that the diplomatic personnel who have been watching Sheikh Abdullah's movements have failed in their duty? What do the Government propose to do and what does the Prime Minister propose to do about this failure on the part of the diplomatic personnel?

**Mr. Speaker:** As to what he proposes to do, he has already indicated. He has asked the indulgence of the House so that the Foreign Minister might be able to make a fuller statement. All these questions will arise at that moment when we hear him, whether there has been a failure, what failure has been there, what the House should do and all that. These questions will arise at that moment. Let us first hear the statement.

**Shri Hem Barua:** Between Tuesday and Thursday, the diplomatic personnel have failed in the performing of their duty. Don't you think like that, Sir?

**Mr. Speaker:** I cannot presume it unless I hear the statement. I will have the statement first and then decide whether really there has been a failure. All these questions will arise at that moment and not earlier.

श्री हुकम चन्द कछवाय : शेख अब्दुल्ला को विदेश जाने देने से ही सरकार की असफलता नजर आती है ।

**Shri Daji:** Sir, I seek your protection.

**Mr. Speaker:** How is he being harmed?

**Shri Daji:** Sir, the calling attention notice is on a matter of urgent public importance and you are good enough to send the copies of that immediately to the Ministries concerned. Generally, all the other

Ministries reply on the same day. It is only this Ministry, the External Affairs Ministry, which does not give reply in time. Consistently, we have been finding for the last three or four days—not only today—that this Ministry everyday comes and wants time for one day or two days. The very object of the calling attention notice is lost. Already, there has been a delay of two days and if any further delay is caused, the very object of this will be lost. The Prime Minister has intervened but I want to know how is it that each time the External Affairs Ministry fails to give answer, the reply, in time.

**Mr. Speaker:** I have already.....

**Shri Shinkre (Marmagoa):** It is natural because the External Affairs has to gather the information from abroad. (Interruption).

**Mr. Speaker:** Order, order. There ought to be some decorum maintained. He ought not to say anything when I am on my legs.

I have already told the House that as soon as I receive the calling attention notice, I just send them copies to find out the facts and the utmost that I would wait would be 48 hours. If I do not hear within 48 hours, automatically I will put it on the order paper. This is what I am doing. When there is a delay, I put it on the agenda without waiting further for the reply. I have already conveyed it to the House. That is what I can do. Papers to be laid on the Table.

श्री मधु लिनये : अध्यक्ष महोदय, मेरा ब्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त कोई ब्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मधु लिनये : मैं तो पहले भी खड़ा हुआ था, लेकिन जब आप खड़े होते थे, इसलिये मैं बैठ जाता था ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब माननीय सदस्य बड़े हो जायें, मैं बैठ जाता हूँ ।

**श्री मधु लिमये :** आप ने जो व्यवस्था की है, उस को तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस में एक आपत्ति है कि अगर आज इस पर बयान आता, तो कम से कम सदन के द्वारा यह बात कही जाती कि क्या वर्तमान कानून में ऐसी कोई व्यवस्था है, इन्तजाम है, जिस के मातहत शेख अब्दुल्ला के पासपोर्ट को तुरन्त रद्द कर के उन को वापस बुलाया जाता । कम से कम अगर वह इतना कर देते हैं, तो वह कल या परसों बयान दे सकते हैं । अगर वह आज बयान दे देते हैं, तो हम यह सुझाव दे सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** अगर माननीय सदस्य रुल्लू को देखें, तो उन को मालूम होगा कि मिनिस्टर टाइम मांग सकता है और उस को यह कहने का हक है कि वह कुछ समय के बाद बयान देगा । मैं उस को इन्कार नहीं कर सकता हूँ ।

**श्री मधु लिमये :** आप इस प्रश्न के महत्व को जान लें ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने जान लिया है ।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** कालिंग एटेंशन मोशन पर विदेश मंत्री वक्तव्य दें, ऐसा कह कर आप ने समस्या की गम्भीरता को बहुत हटका कर दिया है । यह प्रश्न इतना साधारण नहीं है । आइनीय एम्बेसी का शेख अब्दुल्ला के साथ जिस समय यह यहाँ भी थे उस समय जो प्लेबेसिट फ्रंट के साथ बराबर सम्बन्ध रहा है । प्लेबेसिट फ्रंट के जितने भी पोस्टर प्लेबेसिट के सम्बन्ध में . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** इस वक्त आप यह सब कैसे कह सकते हैं ?

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** मेरी बात आप सुन लें, उस के बाद जो व्यवस्था आप देंगे वह मुझे निरोधार्य होगी । बात को बीच में अगर आप काट देंगे या मुझे बीच में ही

अगर आप रोक देंगे तो समस्या की गम्भीरता को सदन को और आप को मैं समझा नहीं पाऊंगा ।

मेरा अभिप्राय यह है कि चीन की जो एम्बेसी है वह भारतवर्ष में प्लेबेसिट फ्रंट की कमर थपथपाती रही है । चीनी गवर्नमेंट जो पहले यह कहती थी कि काश्मीर भारत का भ्रान्तरिक मामला है वही चीन की सरकार आज यह अब कहती है कि नहीं, शेख अब्दुल्ला और पाकिस्तान का पक्ष ही ठीक है । शेख अब्दुल्ला के भतीजे शेख रशीद ने कराची में बैठ करके यह सारे का सारा कार्यक्रम बनाया है । यहाँ बम्बई के एयर पोर्ट पर उनको विदा देने के तुरन्त बाद वह सीधे पाकिस्तान पहुँचे । यह सब योजनाबद्ध हो रहा है । इस सारी चीज से साफ पता चलता है कि काश्मीर पर आक्रमण की तैयारी हो रही है । काश्मीर हिन्दुस्तान के हाथ से जाने वाला है और पाकिस्तान और चीन दोनों मिल कर . . . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो समस्या गम्भीर होना चली जा रही है । समाधान कालिंग एटेंशन से नहीं हो सकता इसके लिये काम रोकने प्रस्ताव ही एडमिट किया जाना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** काम रोकने प्रस्ताव भी पेंडिंग है । जब मैं उनकी स्टेटमेंट सुन लूंगा तभी फैसला कर सकूंगा कि प्राया इसमें असफलता हुई है प्राया गवर्नमेंट की या नहीं हुई है . . . . .

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** गवर्नमेंट को रहना नहीं चाहिये । इसको एकदम त्यागपत्र दे देना चाहिये । विदेश मंत्री से तो एक दम त्यागपत्र लिया जाय ।

**अध्यक्ष महोदय :** वह आपके अखत्यार की बात है और किसी के . . . . . (इंटररूप्शन) मैं आपको जो रुल है उसको पढ़कर सुना देता हूँ . . . . .

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी)  
इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मेरा भी  
एक निवेदन सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : आप जरा ठहर  
जायें । रूल 197 में यह लिखा हुआ है

"...to any matter of urgent  
public importance and the Minister  
may make a brief statement  
or ask for time to make a statement  
at a later hour or date".

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष  
महोदय ...

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं  
चल सकता है कि चार चार आदमी खड़े  
हो जायें । अगर चार चार आदमी एक-  
साथ खड़े हो जायें तो किस तरह से काम  
चल सकता है ?

Shri S. M. Banerjee: Why did he  
not tell us today? Since AIR has already  
broadcast the news, the hon. Minister  
certainly knew it that he had  
a meeting.

अध्यक्ष महोदय : बनर्जी साहब यह  
नहीं हो सकता है कि आप बोले चले जायें  
बैठे हुए भी धीरे खड़े हुए भी । मैं खड़ा  
हूँ धीरे आप बोले जा रहे .....

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कम्प्लीट  
कर रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : कम्प्लीट करने का  
यह मतलब नहीं है कि आप यों ही बोले  
चले जायें जब मैं बोल रहा हूँ तो.....

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष  
महोदय, विषय बहुत महत्वपूर्ण है । इस  
को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही आपसे  
निवेदन करना चाहता हूँ कि विदेश मंत्री या  
प्रधान मंत्री जी चार बजे या पांच बजे या  
कुल भी बयान दे सकते हैं । इस समय प्रश्न  
यह है कि जो घटना घटनी थी वह घट चुकी  
है और आगे कुछ भयंकर नतीजे निकल सकते

हैं । उसका मुकदमा करने के लिए तत्काल  
क्या मंत्री महोदय के दिमाग में है, यह उन  
को सदन में बताना चाहिये । मैं चाहता  
हूँ कि काम रोको प्रस्ताव को मान लिया  
जाना (इंटरप्राइज)

नदाबों के दरबार की तरह तालियाँ  
बजाकर काम किया जाए, यह बरदाश्त  
नहीं किया जा सकता है ।

श्री मधु लिमये : मुक्ति सेना आयेगी  
तब पता चलेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) :  
उसका सामना हम करेंगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नेफा में  
आपने क्या किया, हमको पता है ।

श्री मधु लिमये : देश को बेचना  
चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप प्रोसी-  
डिंग को इस तरह से चलाना चाहते हैं तो  
इस तरह से चलने नहीं दिया जा सकता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : नेफा से भाग  
कर चले आये हैं ।

श्री राम सेवक यादव : गलती पर  
गलती किये जा रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : सामने पैकिंग के  
एजेण्डे बहुत हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपसोस के  
के साथ कहना पड़ता है कि वाक्यादा तौर  
पर शोर मचा हुआ है । मैं इसको कैसे कर  
सकता हूँ जब तक फ्लैट्स न ले लूँ । आप  
बार बार एक ही चीज को केंद्र करेंगे ।  
आप ने तो व्याख्यान ही दे दिया है । सब  
जो कुछ आप कहना चाहते थे कह दिया ।  
कोई वक्त नहीं था इस व्याख्यान के लिए  
मैं इसको कैसे कर सकता हूँ । वाक्यादा  
मेरे सामने होने चाहियें ।

श्री स० मो० बनर्जी : काम रोको प्रस्ताव  
से इसको आपने कॉलिंग एटेंशन मॉडिस कर  
दिया है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप रुल चाहते हैं? मैं वह भी बता देता हूँ। जब मेरे पास कोई काम रोको प्रस्ताव आता है तो मुझे वाकयात देखने होते हैं कि आया फेल्योर है या नहीं है। मैं उन वाकयात को मालूम करता हूँ। ये वाकयात मुझे अभी मालूम नहीं हुए हैं। इसलिए मैं ने इसकी इजाजत दी है ताकि मुझे वाकयात मालूम हों और मैं फैसला कर सकूँ।

**श्री स० श्री० बनर्जी :** आपने कॉमिग एटेंशन नोटिस एडमिट कर लिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** अभी दूसरा नामंजूर नहीं किया है। जब तक वाकयात नहीं आ जाते हैं तब तक मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा ज़िद करते हैं तो मैं अभी फैसला दे सकता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी हालत में भी अब इसको इस वक्त एडमिट नहीं किया जा सकता है। इस खयाल से कि इसकी इम्पार्टेंस बहुत ज्यादा है, इसको मैं ने पेंडिंग रखा है। जब डिबेट चल रही हो एक्सटर्नल एफेयर्स की तो किसी भी हालत में काम रोको जो प्रस्ताव है वह दाखिल नहीं हो सकता है। बजाय इसके कि मैं इसका सहारा लूँ मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप इस बात का अभी फैसला चाहते हैं तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। यह दाखिल नहीं हो सकता है जब एक्सटर्नल एफेयर्स की बहस चल रही हो। ऐसे वक्त कोई दूसरा काम रोको प्रस्ताव चल नहीं सकता है।

**श्री मधु लिंगये :** काश्मीर का मामला ग्रन्दरूनी मामला भी है।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** प्रश्न एडमिशन का नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ...

**अध्यक्ष महोदय :** श्री कपूर सिंह।

**Shri Kapur Singh:** I have to make a respectful suggestion with regard to the time of 48 hours you have stipulated for Government's making a reply to you in connection with call attention notices. Of late, we have found that our call attention notices, which really are sometimes a substitute for adjournment motions, and which have therefore a sense of urgency naturally belonging to these matters, are not treated by Government with that urgency; that sense of urgency is not being felt by Government. I therefore suggest that this period may be reduced to 24 hours ordinarily, unless you think that 48 hours are necessary in exceptional cases.

**Shri Ansar Harvani (Bisauli):** On a point of order, Shri Ram Sewak Yadav has described this august House as a 'Nawab's Durbar'. This is most humiliating and most insulting. I will request you to direct that this remark of the hon. Member be expunged from the proceedings of the House.

**श्री राम तेबक यादव :** यह गलत है जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। मैं सफाई देना...

**अध्यक्ष महोदय :** बगैर उस वक्त फाउट करने के इसी तरह से आप कह देते तो क्या...

श्री राम सेवक यादव : उन्होंने गलत बात कहीं है। इसकी मैं सफाई देना चाहता हूँ। मैंने यह कहा था कि इस सदन को बाजिद अली शाह का दरबार बनाने का प्रयत्न न करें। मैंने यह इसलिए कहा कि जब प्रधान मन्त्री ने कहा कि "बरदास्त नहीं किया जाएगा" तो हमारे भाई लोगों ने, उधर बैठे हुए मानदीय सदस्यों ने बड़े जोर से तालियाँ बजाईं। मैंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा।

**Shri Ansar Harvani:** I would request you to call for the records and see if he has not made that remark in describing this House.

**Shri Sham Lal Saraf** (Jammu and Kashmir): The matter is most serious and it may lead to very serious consequences. I think the hon. Minister of External Affairs is quite correct in asking for time, because I think there is some deep-laid international conspiracy being hatched. This morning, I have seen in the papers that Sheikh Abdullah has given an interview to *Le Monde*, Paris, in which he has said that he does not intend to go back to his country, that is, Kashmir. He did not mean India.

Therefore, it would be very correct for all of us to go to the very depth of this question. The time the hon. Minister has asked for should be given so that he could go into it thoroughly and then come with a fuller statement.

**Mr. Speaker:** I have already given him time. What is the point in stressing the point again.

**Shri Indrajit Gupta** (Calcutta South West): When will the hon. Minister make the statement?

**Mr. Speaker:** Tomorrow, after question hour.

**Shri Swaran Singh:** Yes.

12.28 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER COMPANIES ACT

**The Minister of Finance** (Shri T. T. Krishnamachari): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 297 dated 27th February 1965, under sub-section (3) of section 620A of the Companies Act, 1965.

[Placed in Library, See No. LT-4114/65]

REPORT OF COMMITTEE ON PANCHAYATI  
RAJ ELECTIONS

**The Parliamentary Secretary to the Minister of Community Development and Co-operation** (Shri Shinde): On behalf of Shri S. K. Dey, I beg to lay on the Table a copy each of the Report of the Committee on Panchayati Raj Elections, 1965. [Placed in Library, See No. LT-4115/65].

NOTIFICATIONS UNDER CENTRAL EXCISE  
AND SALT ACT, CUSTOMS ACT AND  
INCOME-TAX ACT

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance** (Shri Rameshwar Sahu): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications:—

- (i) GSR 290 dated 27th February 1965, making certain further amendment to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944;

[Placed in Library, See No. LT-4116/65].

- (ii) GSR 294 dated 27th February 1965, under section 159 of the Customs Act, 1962;